न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या : 57 / 2023
अनवान : —

1. लक्ष्मी पत्नी दुनीचन्द जाति जाट साकिन श्योराणी तहसील नोहर।

— प्रार्थीया

बनाम्

1. श्योकरण पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन श्योराणी तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजियक नोहर तहसील नोरह।

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायलान**

निर्णय दिनांकः 24/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 207 / 226 के ख0न0 170 / 2 की 6.2900 हैक्ट, ख0न0 242 की 0.7590 हैक्ट, ख0न0 248 / 1 की 9.7530 हैक्ट व ख0न0 48 की 9.31610 हैक्ट, ख0न0 49 की 0.3040 हैक्ट कुल 26.4670 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 207 / 226 की कुल 26.4670 हैक्ट भूमि में से ख0न0 242 की 0.7590 हैक्ट, ख0न0 248 / 1 की 9.7530 हैक्ट कुल 10.5120 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि यानि की 3.5040 हैक्ट भूमि सायला ने दिनांक 11.09.2018 को गैरसायल स0 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है एवं इसी प्रकार ख0न0 48 की 9. 3610 हैक्ट, ख0न0 49 की 3.2216 कुल 9.6610 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा यानि की 3.2216 हैक्ट भूमि सायल ने दिनांक 11.09.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है एवं खरीद के समय से ही सायल अपनी खरीदशुदा भूमि को काश्त करती आ रही है एवं सायला के कब्जा काश्त में है। सायल मुताबिक बैयनामा अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदार काश्तकार हो चुकी है लेकिन उक्त वाद भूमि मुताबिक बैयनामा सायला के नाम दर्ज नही हुई है राजस्व रिकार्ड में आज भी अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है। वाद भूमि गैरसायल के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल को पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 207 / 226 के ख0न0 170 / 2 की 6.2900 हैक्ट, ख0न0 242 की 0.7590 हैक्ट, ख0न0 248 / 1 की 9.7530 हैक्ट, ख0न0 48 की 9.3610 हैक्ट व खसरा न0 49 की 0. 3040 हैक्ट कुल 26.4670 हैक्ट कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि को यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी के गहन अध्ययन के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है एवं प्रार्थीया का कथन है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 207/226 की कुल 26.4670 हैक्ट भूमि में से ख0न0 242 की 0.7590 हैक्ट, ख0न0 248 /1 की 9.7530 हैक्ट कुल 10.5120 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि यानि की 3.5040 हैक्ट भूमि सायला ने दिनांक 11.09.2018 को गैरसायल स0 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है एवं इसी प्रकार ख0न0 48 की 9.3610 हैक्ट, ख0न0 49 की 3.2216 कुल 9.6610 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि की 3.2216 हैक्ट भूमि सायल ने दिनांक 11.09.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अवलोकन से प्रार्थीया के उक्त कथन साबित है। प्रार्थीया का कथन है कि मुताबिक बैयनामा प्रार्थीया के नाम भूमि दर्ज नही हुई है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट हे कि उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम ही दर्ज है अर्थात मुताबिक बैयनामा प्रार्थीया के नाम दर्ज नही हुई है। अतः अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीया को असुविधा हो सकती है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित हो गया है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स0 207/226 के ख0न0 170/2 की 6.2900 हैक्ट, ख0न0 242 की 0.7590 हैक्ट, ख0न0 248/1 की 9.7530 हैक्ट, ख0न0 48 की 9.3610 हैक्ट व खसरा न0 49 की 0.3040 हैक्ट कुल 26.4670 हैक्ट कृषि भूमि में न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक...24/10/25... [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर